न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2024
अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम 1955
विनिता व अन्य बनाम मदन व अन्य

वादी/प्रार्थी के द्वारा वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जरिये अभिभाषक के प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा तहसील व अजमेर मे अवस्थित है , जिसके खाता संख्या नया व पुराना 225 है जिसके खसरा नंबर क्रमशः 101/1378, 53, 63, 93, व 98 जिसका रकवा हैक्टयर में क्रमशः 0.3100, 0.2800, 0.4700, 0.3200 व 0.3200 है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात संवत् 2018 से 2021 में प्रार्थीगण के परदादा हरदीन पुत्र घीसा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, इस प्रकार उपरोकत वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण के परदादा हरदीन पुत्र घीसा का देहांत दिनांक 05.08.1978 को हो चुका है, जिसके पश्चात् फौतगी नामांतरण खुला जिसमें प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 लगायत 7 के पिता जवाना पुत्र हरदीन के नाम खोल दिया जिस कारण से परिवार के सदस्यों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज नहीं हो सका। उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार निहित है एवं परिवार की आजीविका का एकमात्र स्त्रोत उपरोक्त वर्णित आराजीयात ही है यदि उपरोक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी गण को अपूर्णित क्षति होगी और वो अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर भूमि अन्यत्र विक्रय करने पर सख्त आमादा है यदि वे ऐसा करने मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण पैतृक संयुक्त खातेदारी की आराजी से महरूम हो जायेगा तथा प्रार्थीगण को अर्पूतनीय क्षति कारित होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को एक पक्षीय सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी आराजी है जिसमे अप्रार्थीगण दखलन्दाजी करने पर सख्त आमादा है यदि वे ऐंसा करने मे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है। प्रथमदृष्टया प्रार्थी के पक्ष में, अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन को मध्यनजर रखते हुए आगामी तारीख पेशी 19.02.2024 तक राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण अभिभाषक अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्र्ड एडी पेश करे, पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.02.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

19/2/24
आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनाक 27/5/24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

06/05/24 वादी अधि० व वादी ने उपस्थित होकर वादी द्वारा वाद वापसी का प्रा० पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली दिनांक 07/05/24 को पेश हो।

07/05/24 ~~आज~~ पत्रावली पेश हुई। मूल वाद विड्रो किये जाने से प्रा० पत्र सारहीन हो ~~जाने~~ जाने से पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर